



भारत सिर्फ ग्लोबल इजोवेशन में हिस्सा नहीं लेता बल्कि उसे लीड भी करता है : इमैनुएल मैक्रों



घन्ट लोगों को छोड़ कर... सभी भारतीय इस बात पर गर्व करते हैं....

मुज़फ़्फ़रनगर बुलेटिन

सम्पर्क सूत्र : 9368549219, 8077929606

संस्थापक : स्व. उत्तम चन्द्र शर्मा

रोजाना आपकी सुबह की चाय पर

सूर्योदय - 6:55, सूर्यास्त - 6:11

वर्ष : 54/ अंक : 49 | बृहस्पतिवार, 19 फरवरी 2026

फाल्गुन, शुक्ल पक्ष, द्वितीया | सम्वत् 2082 | मूल्य : 3 रुपये

कुल पृष्ठ : 4

खुशियों के आसमां का जहाँ, बेहद खूबसूरत है, हमारा ये आशियां।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजना द्वारिका सिटी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग (जी+3) फिनिश फ्लैट्स प्राप्त करने का

सुनहरी अवसर

वर्ग	बिल्टअप एरिया	कॉर्पेट एरिया	भवन की संरचना	निर्धारित मूल्य (रुपये)	भवनो की संख्या
ई.डब्ल्यू.एस. G+3	25.544 वर्ग मी0 (274.95 वर्ग फुट)	22.048 वर्ग मी0 (237.32 वर्ग फुट)	1 रुम, किचन व टॉयलेट	रु0 4,51,582.00	228
एल.आई.जी. G+3	36.02 वर्ग मी0 (387.716 वर्ग फुट)	31.245 वर्ग मी0 (336.32 वर्ग फुट)	1 बेडरूम, 1 लिविंग रुम, किचन व टॉयलेट	रु0 10,87,190.00	228

भुगतान एवं अन्य विवरण हेतु पंजीकरण पुस्तिका का अवलोकन करें।

द्वारिका सिटी में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत रूडकी-मेठ बाईपास रास्ते पर स्थित दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के अन्तर्गत किफायती आवासीय योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका के आवेदन शुल्क रु0 200.00 जमा कराते हुए पंजीकरण पुस्तिका द्वारिका सिटी, जानसठ रोड स्थित कार्यालय से एवं निर्धारित बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण फार्म को द्वारिका सिटी कार्यालय, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर में आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण पुस्तिका में अंकित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/पे-ऑर्डर संलग्न करते हुए नियमानुसार जमा कराया जा सकता है। प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की पात्रता/अपात्रता की जांच जिला नगरीय विभाग अधिकरण, मुजफ्फरनगर (डूडा) से करायी जायेगी तथा जांचोपरान्त पाये गये पात्र आवेदको के मध्य शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से निर्धारित स्थान पर लॉटरी (ड्र) का आयोजन करते हुए नियमानुसार भवन आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

नोट :- शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आरक्षण लागू होंगे।

द्वारिका सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप

जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु किफायती आवासीय योजना



पंजीकरण अवधि 20.02.2026 से 20.04.2026 तक

यू0पी0रेरा रजिस्ट्रेशन नं0 UPRERAPRJ170765/03/2025

Project Start Date : 01-07-2023

Website : www.up-rera.in



मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली (गाज़ियाबाद) के श्रेष्ठ मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ से परामर्श, आपके शहर मुज़फ्फरनगर में



ओ.पी.डी. शेड्यूल

डॉ. अजय प्रजापति
सीनियर कंसल्टेंट - न्यूरोसर्जरी

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026

सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे

रामा कृष्णा हॉस्पिटल, टाउन हॉल रोड, मुजफ्फरनगर

समस्याएँ: सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर का सुन्न होना, चक्कर आना, साइटिका, सर्वाइकल, डिस्क प्रोलैप्स, स्पॉन्डिलोसिस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर, माइक्रो न्यूरो सर्जरी, मिर्गी का दौरा इत्यादि।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

+91 - +91-82188 74540

www.maxhealthcare.in

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली (क्रॉसले रेमिडीज लिमिटेड की एक इकाई)
डब्ल्यू-3, सेक्टर -1, वैशाली, गाज़ियाबाद - 201012 (यूपी) | फोन: +91-0120-4173 000, 4188 000

ओम शान्ति ओम

ओम शान्ति ओम

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेड मुनि नाथ। हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ ॥

रस्म तेरहवीं एवं शोक सभा



अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूजनीय माताजी

श्रीमती मिथलेश सिंघल जी (पत्नी स्व. लाला रामसेवक सिंघल जी)

का स्वर्गवास मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी 2026 को हो गया है। वह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई हैं। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु रस्म तेरहवीं /शोक सभा शुक्रवार, दिनांक: 20 फरवरी, 2026 को होनी निश्चित हुई है।

ब्रह्मभोज12:00 बजे दोपहर

रस्म तेरहवीं एवं शोक सभा02:00 बजे दोपहर

स्थान:- ब्रजमूर्ति पैलेस, स्टेट बैंक के सामने, मेन रोड, शाहपुर, मुजफ्फरनगर

:- शोकाकुल परिवार:-

शिवम सिंघल (पुत्र) युवा भाजपा नेता
गुनमाला सिंघल- स्व. अम्बेकर सिंघल (देवर-देवरानी)
नेमचन्द बंसल- स्व. मधुर बंसल (ननदोई-ननद)
बबीता सिंघल- स्व. प्रदीप सिंघल (पुत्री-दामाद)
मंजूषा मित्तल- हरीश मित्तल (पुत्री-दामाद)
सोनु अग्रवाल (पुत्री)
नीरू गर्ग- मनोज गर्ग (पुत्री-दामाद)
पारूल गोयल-प्रशान्त गोयल (पुत्री-दामाद)
विनी गर्ग- निशांक गर्ग (पुत्री-दामाद)

विशु बंसल-नितिन बंसल (धेवती-धेवती दामाद)
हर्ष सिंघल- चांदनी सिंघल (धेवता-धेवता वधु)
उमंग सिंघल- स्वाति सिंघल (भतीजा-भतीज वधु)
डॉ० तरंग सिंघल- डॉ० एकता सिंघल (भतीजा-भतीज वधु)
अवि, भव्य, अक्स, भायिक (धेवते)
प्रत्युषा, आयुषी (धेवती)
नवशा, रुद्रांश (पड़पेवते)
नायरा, वसिका (पड़पेवती)
विहान (पौत्र), आरोंही, मिशिका (पौत्री)
एवं समस्त सिंघल परिवार, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)

:- प्रतिष्ठान:-

- मै0 रतनलाल रामसेवक, मेन बाजार, शाहपुर, मुंनगर
- मै0 वेअंत लाल एण्ड कम्पनी, 225 बी, नवीन मंथी स्थल, मुंनगर
- मै0 तरुण मैडिकल एजेंसीज, जिला परिषद मार्केट, मुंनगर

निवास स्थान:- मौहल्ला सानियान, शाहपुर (मुजफ्फरनगर) M. 9997139441, 8439501404

ओम शान्ति ओम

ओम शान्ति ओम

रस्म तेरहवीं

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेड मुनि नाथ। हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ ॥



अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि

श्रीमती शोभा जैन (धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार) का स्वर्गवास

दिनांक:17 फरवरी, 2026 को हो गया है। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी।

शोक सभा/ रस्म तेरहवीं, दिनांक :19 फरवरी, 2026 दिन- बृहस्पतिवार को होनी निश्चित हुई है।

शोक सभा/रस्म तेरहवीं: दोपहर 02:00 बजे

स्थान:- राज मंदिर बैंकट हॉल, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर

:- शोकाकुल परिवार:-

रविन्द्र जैन-चारु जैन (देवर-देवरानी)
संजय जैन-अरुणा जैन (भतीजा-भतीजावधु)
अजय जैन-शालिनी जैन (भतीजा-भतीजावधु)
रुचिर जैन-राधिका जैन (भतीजा-भतीजावधु)
अविरल जैन- आरुषी जैन (भतीजा-भतीजावधु)

राकेश कुमार जैन (पति)
(पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन)
अभिनव जैन-पायल जैन (दामाद-पुत्री)
अंकित जैन-नैन्सी जैन (पुत्र-पुत्रवधु)
सोमिल जैन, सिद्ध जैन (पौत्र)

प्रतिष्ठान:- मै0 चन्द्रप्रभु इन्टरनेशनल लि0

निज निवास:- 5 बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M.: 9897022633, 9897098377

फर्जी कंपनी बनाकर किया करोड़ों का लेन देन यूपी बोर्ड परीक्षा का आगाज, पहले दिन हिन्दी का प्रश्न-पत्र

बुढ़ाना, 18 फरवरी (बु.)। एक टन में एक फर्जी कंपनी बनाकर एक भोलो-भाले युवक को मोबाइल फोन नंबर से लगातार सात महीने तक कई करोड़ रुपये का लेन-देन किया। युवक



उसने बुधवार को सीओ ऑफिस को एक

प्राथमिक-पत्र देकर टन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर बाद सीओ ऑफिस पर आए अफसर अली द्वारा नजर अंती नियायी गांव समीप पृष्ठ बुढ़ाना देहात लुहसाना रोड में बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। वर्तमान में उसकी लुहसाना रोड पर चाय की दुकान है। बुढ़ाना कस्बे के मौलव्ला कर्बला रोड नियासी सुहेल मलिक पुत्र यामिन दिल्ली में टेकेदारी का कार्य करता है। सुहेल ने उससे स्वामी मजदूरी के नाम पर लगभग डेढ़ बरस पूर्व उसका फोटो व आधार कार्ड की कॉपी ली थी तथा बैंक कर्मचारियों को अपने गोदाम पर बुलाकर खाला सुलुवा दिया था और कहा था कि अब तेरी मजदूरी सीधे मेरे खाते में आती रहेगी। सुहेल

ने उससे कई बार ओटीपी ली, तो वह मजदूरी के कारण सुहेल को ओटीपी देता रहा। इस दौरान उसका राशन कार्ड कट गया, तो वह बुढ़ाना पूर्वी विभाग ऑफिस पर गया तो पता लगा कि उसके खाते में करोड़ों रुपये का ट्रान्जैक्शन हो गया है। पता चला कि सुहेल द्वारा उसके नाम से एक फर्म बनायी गयी है, जिसका नाम भारत ट्रेडर्स था और उसी फर्म के नाम बिल काटे गये और पेमेन्ट वसूला गया, जिसमें सुहेल उससे समय-समय पर ओटीपी लेता रहा। वह अपराध गम्भीर प्रवृत्ति का है। फर्जी फर्म केवल 07 माह चलनी गयी है और बाद में समाप्त कर दी गयी, जिसका जीएसटी नंबर भी है। बुधवार के दिन पीडित अफसर मंसूरी ने बुढ़ाना सीओ से न्याय की गुहार लगाई है।

युवक ने सीओ बुढ़ाना से लगाई न्याय की गुहार

को इस बात का पता तब लगा जब उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। युवक काफी दिनों से टन को कॉल कर रहा है, लेकिन उसका नंबर विन्क ऑफ ही आ रहा है। वह किसी बड़े पच्चे में न पड़ जाए, तब

उत्तराखंड में अदालतों को उड़ाने की धमकी

देहरादून, 18 फरवरी (एजेंसी)। उत्तराखंड के नैनीताल समेत कई जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई अचानक की गई शरारत नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया अकाउंट 10 फरवरी को एक्टिवेट किया गया था, जबकि पहला धमकी भरा मेल 16 फरवरी को भेजा गया। यानी साजिश को क्रिकेट 6 दिन पहले ही लिख दी गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इसी अकाउंट से सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि यूपी समेत अन्य राज्यों में भी मेल भेजे गए हैं। फिरोहाल पुलिस असली सोर्स (आईपी एड्रेस) तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 16 फरवरी को नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय की आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर कोर्ट को आरक्षक से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने तुरंत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अपराधियों के हाथसे इतने बुलंद थ कि अगले ही दिन (17 फरवरी) दोबारा मेल भेजा गया।

देहरादून में कार के ऊपर पलटा ट्रक : डेढ़ घंटे तक आग का गोला बनी गाड़ियां

देहरादून, 18 फरवरी (एजेंसी)। देहरादून में आज सुबह एक ट्रक अचानक बेकाब होकर कार के ऊपर पलट गया, जिसके तुरंत बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसा दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे पर मोहनबाबा चौक के पास हुआ। हादसे के वक्त ट्रक में दो लोग सवार थीं, कार ड्राइवर ने कुछ समय पहले ही कार को साइड में लगाया था। हादसे के बाद लगभग डेढ़ घंटे तक आग का गोला बन गई, जिसके तुरंत बाद घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही घनघन बादर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

पाकिस्तान टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-8 में पहुंचा: नामीबिया को 102 रन से हराया

कोलंबो, 18 फरवरी (एजेंसी)। पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है। टीम ने बुधवार के दूसरे मैच में नामीबिया को 102 रन से हराया। पाकिस्तान टॉप-8 में पहुंचने वाली 8वीं टीम बनी है। कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान ने सुपर-ए के इस मैच का टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 199 रन बनाए। जवाबी पारी में नामीबिया 17.3 ओवर में 97 रन पर ऑलआउट हो गई। उस्मान तारिक ने 4 विकेट झटकें। जबकि शादाब खान को 2 विकेट मिले। ओपनर लौरन स्टीनरने 23 और एलेक्जेंडर बॉल्सचेंक ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान 9 ब्रेक्स देहाई का आंकड़ा प्राप्त कर रही कर सकें। पाकिस्तानी ओपनर सैफिज्जाय फरहान ने 58 बॉल पर सत्रक बनाया। शादाब खान ने नाबाद 36 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 38 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया के लिए जैक ब्रेसल ने 2 विकेट झटकें। जबकि जेराई ह्यारमस को एक विकेट मिला।

यानेदार 75 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार, एंटी करफोन टीम में बारा याने से दबोचा

प्रयागराज, 18 फरवरी (एजेंसी)। यमुनापार इलाके के बारा थाना प्रभारी विनोद कुमार सोनकर को एंटी करफोन की टीम में 75 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इससे थाने में हड़कंप मचा रहा। थानास्थान के खिलाफ एंटी करफोन टीम को तैयार किया गया।

मांजे की मेहदी की रस के टोत्रण मामा की मोत

खरगोन, 18 फरवरी (एजेंसी)। मेहदी की रस के दौरान दूध के मामा को हाट अटेक आ गया। वे नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़े। परिजन ने इसे उनका डांस स्टेप ही समझा। कुछ देर तक जब वे नहीं उठे तो रिश्तेदार उनकी तरफ बढ़े। उन्हें निहाल देखकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहाँ डॉक्टर ने उनकी मोती की पुष्टि कर दी। मामला खरगोन के ओझरा गांव का है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बड़बानी में पिपतुद गांव के रहने वाले घनश्याम यादव (40) अपने भाजे की शादी में ओझरा आए थे। मंगलवार रात को मेहदी की रस थी। इस दौरान घनश्याम अपनी पत्नी के साथ नाच रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी जयम में शामिल थे। घनश्याम यादव पेशे से किसान थे। करीब आठ एकड़ जमीन है। उनके साथ उनकी पत्नी और इकलता बेटा भी शामिल थे। भाजे अंकित और भांजे रजनी की शादियां वे भाजे लेकर मंगलवार को ही वझरा पहुंचे थे। भाजे को मेहदी के साथ ही संगीत भी रखा गया था।

आप सरपंच की डांस प्लेओर पर गोली मारकर हत्या

अमृतसर, 18 फरवरी (एजेंसी)। तरनतारन में सत्तारथी आम आदमी पार्टी के सरपंच हरविंदर सिंह (38) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार (18 फरवरी) को सिद्ध फार्म में उसने क चचेरे भाई की शादी थी। इसी दोपहर करीब डेढ़ बजे हमलावार बराती बनकर अंदर घुसे। जब सरपंच स्टेज पर दोस्तों के साथ डांस कर रहे थे, तो भीड़ में एक युवक निकला और उसने सरपंच को सोफे पर बैठते ही फायरिंग कर दी। हरविंदर सिंह के पेट और सिर में चार गोलाबारी मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान जब चचेरे भाई जयनंदन सिंह ने हमलावरों का पीछा किया तो उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफसर-तफरी मच गई और आरंभी भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।



वहीं मंत्री लालजित सिंह भुल्लर भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उधर, अकाली नेता विक्रम सिंह मजोटीया ने कहा कि सीएम मान व डीजीजी तुरंत इस्तीफा दें।

कश्मीर में 36 साल पुरानी मुस्लिम जांबाज फोर्स बना रही कश्मीरी पंडितों की डेथ लिस्ट

श्रीनगर, 18 फरवरी (एजेंसी)। कश्मीर में फलंगाम के पास मट्टन में कश्मीरी पंडितों की बस्ती है। आबादी करीब 300 की है। यहाँ की गलियों में दिन के 4 बजते ही सन्नाटा पसर जाता है। मट्टन में रहने वाले रोश कोल (बदला हुआ नाम) अब अज्ञान नंबरों से आने वाले फोन नहीं उठाते। वजह पृष्ठे पर बवाते हैं, कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने कहा है कि जमाने से पहले घर आ जाओ, अजन्तियों से दूर रहो। अंधेरे में बाहर न निकलें और कोई सदिश दिखे, तो तुरंत खबर कीजें। कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की धमकी आतंकी संगठन लिबरेशन-ए-तेबाह का प्रेसिडेंट गुप द रिनरिस्ट फोर्स वही छपकने दी है। इसके अलावा 1990 के दशक में एक्टिव रहे गुप मुस्लिम जांबाज फोर्स में भी शीघ्रत लगाकर कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रखने की धमकी दी है। इन धमकियों के बाद सुस्था एजेंसियों ने कश्मीरी पंडितों को अलर्ट रखने की हिदायत दी है। फलंगाम स्थलाक की तरफ से जारी लेटर, ने 3 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की खुली धमकी दी गई है। कश्मीरी पंडितों के लिए जारी धमकी वाला लेटर फलंगाम स्थलाक के नाम से जारी किया गया है। इसमें लिखा है... कश्मीरी

विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना की ताकत : आईएफआर में 70+ देशों ने देखा भारत का समुद्री दम

विशाखापत्तनम, 18 फरवरी (एजेंसी)। विशाखापत्तनम में बुधवार से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय फ्लोट रिव्यू (आईएफआर) भारतीय नौसेना की ताकत और वैश्विक समुद्री सहयोग का प्रमुख मंच बन गया है। इस दौरान भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ-साथ मित्र देशों के जहाज और प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजित इंटरनेशनल फ्लोट रिव्यू का अवलोकन किया। साथ ही गाइड ऑफ ऑनर की समीक्षा भी की। बता दें कि इंटरनेशनल फ्लोट रिव्यू 2026 में 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। यह आयोजन भारत के बढ़ते समुद्री दृष्टिकोण और विदेशनैतिक नीसैतिक सहयोग को दर्शाता है। इंटरनेशनल फ्लोट रिव्यू 2026 में 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि इंटरनेशनल फ्लोट रिव्यू समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों की एकरता, विश्वास और सम्मान को दर्शाती है। विभिन्न ध्वजों वाले जहाज और विभिन्न देशों के नाविक एकजुटता के भावना का प्रदर्शन करते हैं। अने सालों से बात पर बल दिया कि एकजुटता की यह भावना इस रिव्यू की थीम 'यूनाइटेड थू ओशंस' में

मुजफ्फरनगर, 18 फरवरी (बु.)। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट वॉरिफिक परीक्षाएं बुधवार से जनपद में सीसीटीवी कैमरों एवं पुलिस सुस्था व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हो गईं। पहले दिन हिन्दी एवं सामान्य हिन्दी विषय का प्रश्न पत्र देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले परीक्षार्थियों के चेहरों पर विजयी मुस्कान दिखाई दी। इससे पूर्व सुबह से ही नगर मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों तक बने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली।

माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा के आगाज के साथ जनपद में बनाए 72 परीक्षा केंद्रों पर छात्र-छात्राएं बुधवार की निर्धारित समय से पहले ही पहुंचने लगे थे। इस बीच कई परीक्षार्थी अपने परिजनों के साथ केंद्रों पर पहुंचे। इन परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की लंबी कतारें भी देखी गईं। क्षमता से अधिक नगरीय क्षेत्र में वाहनों की संख्या के चलते शहर के प्रमुख चौराहों और संपर्क मार्गों पर वाहनों के कारण यातायात बाधित रहा और कई क्षेत्रों में जाम की स्थिति भी बनी रही। इस दौरान परीक्षा केंद्रों से पहुंचे परीक्षार्थियों की गहनता के साथ तलाशी लेने के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिलाया गया। डीआईओएस राजेश कुमार श्रीवास्तव ने यूपी बोर्ड परीक्षा को दोनों पक्षों निरपेक्ष संभव होने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18

1282 हाई स्कूल और 939 इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा चौराहों और मार्गों पर वाहनों के कारण रही जाम की स्थिति



फरवरी से प्रारम्भ होकर 12 मार्च तक संचालित होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रातःकालीन सत्र सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तथा अपराह्न सत्र दोपहर 2 बजे से 5.15 सायं तक तब किया गया। हाईस्कूल की परीक्षा प्रातःकालीन सत्र व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं दोनों सत्रों में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के लिए हिन्दी तथा सामान्य हिन्दी विषय का दृश्यांक निर्धारित था। परीक्षा के बाद 28,901 और कुलफल 220 परीक्षार्थियों में से किन्हीं कारणों से 1265 संस्थागत और 17 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों ने

परीक्षा से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट संस्थागत 25477 और 651 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों में से 889 संस्थागत एवं 50 व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं ने उक्त परीक्षा छोड़ दी। उन्होंने बताया कि जनपद में इस वर्ष कुल 56,163 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 29,128 छात्र एवं 27,035 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। केंद्रों के प्रवेश द्वार पर सज्ज जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। नकल-विहीन परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से तामाम प्रशासनिक अधिकारी इन केंद्रों का निरीक्षण करते रहे।

आधा घंटे देरी से दिया प्रश्नपत्र, समय से ले ली उतर पुस्तिकाएं

मुजफ्फरनगर, 18 फरवरी (बु.)। एसडी गैलरी कालोनी में दूसरी पाली के पेपर देने पहुंची नई मंडी शिक्षा भागवती सरस्वती विद्यालय मॉडर इंटर कालेज की 12वीं की छात्राओं को हिंदी का पेपर देते से मिलने के कारण भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। भागवती सरस्वती विद्यालय मॉडर इंटर कालेज की छात्राओं ने शिकायत करते हुए कहा है कि उनका सेंटर गांधी कालोनी स्थित एसडी गैलरी इंटर कालेज में लगा था। उन्हें परीक्षा के आधे घंटे बाद प्रश्न पत्र दिया गया। बाद में उनसे उतर पुस्तिका निर्धारित समय पर ही ले ली गई। इसे लेकर परीक्षार्थियों के साथ भागवती विद्या मॉडर इंटर कालेज की प्रधानाचार्या वंदना शर्मा ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देरी से विवित किया तो उन्हें निर्धारित समय से अलग आधा घंटे का समय देना चाहिए था। परीक्षार्थी समाजवाह के चलते सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। डीआईओएस राजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद वे तुरंत पहुंचे थे। कक्ष निरीक्षकों को प्रश्न पत्र खोलने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिस कारण प्रश्न-पत्र वितरण में क्लिब हुआ। इमरिज 10 मिनट का अतिरिक्त समय दे दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी : भरण-पोषण इतना अधिक न हो कि पति के लिए असहनीय बोझ बन जाए

प्रयागराज, 18 फरवरी (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण की राशि न तो इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह पति के लिए असहनीय बोझ बन जाए और न ही इतनी कम कि पत्नी और बच्चे अभाव में जीवन जीने को मजबूर हों। न्यायमूर्ति मदन पाट सिंक की एकलपिठ ने इस टिप्पणी के साथ पारिवारिक न्यायालय की ओर से तब 16 हजार रुपये प्रतिमाह की भरण-पोषण राशि को घटाकर आठ हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। उन्होंने यह आदेश पति की ओर से दावर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा और कुलभुषण कुमार बनाम राजकुमारी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। यानी के अधिकांश ने दलील दी कि उक्त आदेश का नतीजा यह होगा कि भरण-पोषण पति की शुद्ध आय के लगभग 25 प्रतिशत तक उचित माना जा सकता है। फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पति की आय लगभग 32 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था